

तारीख	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीम(डीम)	नम्बर व तारीख
हुक्म संख्या:- 65/25	पटवारी, पटवार मंडल... <del>जायलीउपीम</del> बनाम राजस्थान सरकार	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
किस्म	प्रार्थना पत्र:- अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट 1956	2025/342
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए.
26.11.2025	<p>आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पटवारी, पटवार मंडल <del>कै.रा.चौधरी</del> द्वारा पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। आवेदन पत्र के साथ भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.04.2025 की प्रति पेश की गई। तहसीलदार (भू.अ.) डीम की रिपोर्ट क्रमांक <del>28/34/25/3407</del> डि:26/11/25 से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। पटवारी, पटवार मंडल <del>कै.रा.चौधरी</del> के निवेदन पर सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात व तहसीलदार 26/11/25 की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा पटवारी, पटवार मंडल <del>कै.रा.चौधरी</del> ने मौखिक निवेदन किया है कि बाकैँ ग्राम <del>जायलीउपीम</del> स्थित भूमि जमाबंदी संवत 2076-79 के खाता संख्या 127 खसरा नं० <del>475</del> <del>ख-9</del> <del>ख-9</del> के काश्तकार <del>न्यायसाम</del> पुत्र <del>मते-इ</del> हिस्सा <del>जायलीउपीम</del> जाति <del>जायलीउपीम</del> निवासी <del>जायलीउपीम</del> खातेदार राहिन हिस्सा <del>19</del> बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा <del>कै.रेट</del> के स्थान पर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा <del>कै.रेट</del> दुरुस्त किया जावे।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप तथा तहसीलदार <del>डी.क</del> की स्पष्ट अभिशंका के आधार पर हस्तगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट के अन्तर्गत स्वीकार किया जाना उचित पाया जाता है।</p> <p>आदेश</p> <p>अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा अंतर्गत 136 एल0आर0एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया बाकैँ ग्राम <del>जायलीउपीम</del> स्थित भूमि जमाबंदी संवत 2076-79 के खाता संख्या 127 खसरा नं० <del>475</del> <del>ख-9</del> <del>ख-9</del> के काश्तकार <del>न्यायसाम</del> पुत्र <del>मते-इ</del> हिस्सा <del>19</del> जाति <del>जायलीउपीम</del> निवासी <del>जायलीउपीम</del> खातेदार राहिन हिस्सा <del>19</del> बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा <del>कै.रेट</del> के स्थान पर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा <del>कै.रेट</del> दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार <del>डी.क</del> को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसील जारी हो। शेष प्रविष्टियां गथावत रहेगी। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमाल दाखिल दफ्तर हों।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 26.11.2025 को न्यायालय हाजा में सुनाया गया।</p>	

(मुकेश चौधरी)

उपखण्ड अधिकारी

डीम (जिला डीम)